भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन
मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाषः 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 8बी/एच.पी./05/62/2019/एफ.सी./497 दिनांकः 30/05/2019

सेवा में,

नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
हिमाचल प्रदेश सरकार,
वन विभाग, टालैंड, शिमला।

विषय : **Diversion of 2.1532 ha of forest land for mining lease, approach road and staking of raw material for already established stone crusher at Pashada, P.O. Khaneri Tehsil Rampur Bushahr, Distt. Shimla, HP in favour of M/s Bushahr Laghu Udyog VPO Jhakri, Tehsilj Rampur Bushahr, within the jurisdiction of Rampur Forest Division, Distt. Shimla, Himachal Pradesh.**

संदर्भः नोडल अधिकारी एवं अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक (एफ.सी.ए.), हि0प्र0 के पत्रांक एफ.टी. 48–3737/2018 (एफ.सी.ए.) दिनांक 22.05.2019

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि अमुख प्रस्ताव में संदर्भित stone crusher को स्थापित करने का प्रस्ताव पूर्व में *Diversion of 0.2898 ha (instead of 0.5448 ha) of forest land in which the quarry site is only 0.1964 ha in favour of Bushahr Laghu Udyog, Pashada for mining and installation of stone crusher under Rampur Forest Division, District Shimla, Himachal Pradesh.* के नाम से इस कार्यालय द्वारा पृथक रूप से विचाराधीन है जिसको अभी तक स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है। प्रस्तावों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत यह स्पष्ट होता है कि अमुख दोनों प्रस्तावों पर पृथक–पृथक विचार करना वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अनुसार तर्कपूर्ण नही होगा। क्योंकि पूर्व में 0.2898 हे0 *(instead of 0.5448 ha)* वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव में कुछ खामियां/कमियों पर राज्य सरकार से इस कार्यालय के पत्र दिनांक 19.03.2019 द्वारा स्पष्टीकरण चाहा है जो अभी अपेक्षित है। अतः वर्तमान में संदर्भित/विषयांकित प्रस्ताव पर पृथक रूप से निर्णय नही लिया जा सकता है। अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि पूर्व में प्रस्तुत प्रस्ताव पर आवश्यक कार्यवाही कर इस कार्यालय को बिन्दुवार आख्या प्रस्तुत करें। तदानुसार ही दोनो प्रस्तावों पर consolidation से निर्णय लिया जा सकेगा।

भवदीय,

(डा0 योगेश गैरोला)
तकनीकी अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन), हिमाचल प्रदेश सरकार, आर्मसडेल बिल्डिंग, शिमला।

(डा0 योगेश गैरोला)
तकनीकी अधिकारी